केस का प्रकार–विविध वाद सं0–02/2017–18 राज्य बनाम अंशुप्रिया

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
10.10.2017	*आदेश* सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–18431/2016 अंशुप्रिया बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 20.06.2017 को पारित न्यायादेश के अनुशरण में याचिकाकर्त्ता अंशुप्रिया पिता श्री वंशीधर सिंह, ग्राम+पोस्ट–माधवपुर थाना–परबत्ता, जिला–खगड़िया द्वारा आवश्यक कागजातों के साथ अभ्यावेदन दाखिल किया गया है। अंशुप्रिया द्वारा अपने आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उनकी माँ श्रीमती भारती सिंह वार्ड नं0–06 में केन्द्र सं0–03 की आंगनबाड़ी सेविका थी। उनकी माँ की केन्द्र संचालन करने के दौरान दिनांक 27.04.16 को हृदय गति रूक जाने के कारण मृत्यु हो गयी। उनकी माँ अपने जीवन काल में केन्द सं0–03 के निर्माण हेतु वार्ड–06 में अपनी जमीन दान देकर 2014 में भवन का निर्माण करवाई तथा उसमें केन्द्र संचालित हो रहा था। माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 18431/2016 अंशुप्रिया बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 20.06.2017 को पारित आदेश के आधार पर उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद पर चयन करने का अनुरोध किया गया है। अभिलेख में संलग्न कागजातों का परिशीलन किया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, परबत्ता के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 46 दिनांक 20.02.03 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार कल्याण विभाग समाज कल्याण निदेशालय, पटना के पत्रांक 32 दिनांक 25.09.2001 में निहित निदेश के आलोक में श्रीमती भारती सिंह, पति वंशीधर सिंह ग्राम–माघवपुर, पोस्ट–माधवपुर, थाना–परबत्ता का चयन ग्राम पंचायत माधवपुर के केन्द्र संख्या–03 हेतु सेविका पद पर ग्राम पंचायत के निर्णयानुसार लाभर्थी समुदाय के बीच से उप विकास आयुक्त, खगड़िया के अनुमोदन पश्चात किया गया था। आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि	

For Subst. 13/11/17

आवेदिका की माँ श्रीमति भारती सिंह की मृत्यु हृदयगति रूक जाने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन के दौरान हुआ है तथा उनकी माँ के अवकाश में रहने पर केन्द्र का संचालन का भार उन्हें देकर जाती थी। इसलिए अनुकम्पा के आधार पर वार्ड सं0–6 में आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–03 पर मृत सेविका श्रीमती भारती सिंह की पुत्री अंशुप्रिया का चयन आंगनबाड़ी सेविका के पद पर किया जाय।

समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए सेविका / सहायिका के चयन संबंधी मार्गदर्शिका–2010 एवं 2011 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सेविका की मृत्यु होने पर अनुकम्पा के आधार पर चयन का कोई भी प्रावधान नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–18431 / 2016 अंशुप्रिया बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 20.06.2017 को पारित न्यायादेश में आदेश दिया गया है कि सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी, खगड़िया याचिकाकर्त्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन पर उनकी शिकायत पर सुनवाई कर नियम के तहत आदेश पारित करेंगे। और सेवका के चयन संबंधी मार्गदर्शिका में अनुकम्पा के आधार पर चयन का कोई प्रावधान / नियम नहीं है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में याचिकाकर्त्ता का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया

ज्ञापांक 418 / विधि दिनांक 6/11/2017
प्रतिलिपि:- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
विधि शाखा, खगड़िया
6/11/17